



सार्वजनिक सूचना

क्रम संख्या	प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से समयावधि	एक मुश्त जुर्माना शुल्क एवं शुद्धि शुल्क
01	प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 03 वर्ष से अधिक समय से लेकर 06 वर्ष तक	शून्य + निर्धारित शुद्धि शुल्क
02	प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 06 वर्ष से अधिक समय से लेकर 09 वर्ष तक	3000/- + निर्धारित शुद्धि शुल्क
03	प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 09 वर्ष से अधिक समय से लेकर 12 वर्ष तक	6000/- + निर्धारित शुद्धि शुल्क
04	प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 12 वर्ष से अधिक समय से लेकर 15 वर्ष तक	9000/- + निर्धारित शुद्धि शुल्क
05	प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 15 वर्ष से अधिक समय तक	10000/- + निर्धारित शुद्धि शुल्क

अन्य शर्तें बोर्ड के नियम/विनियमों, सरकार/शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुरूप रहेगी।

नोट:-

- पुनः जारी (Re-Issued)/शुद्धि उपरांत पुनः जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र की कोई भी प्रति दस्ती (By Hand) लेने के लिए परीक्षार्थी को 500/- रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- यदि कोई आवेदक सेवा/नौकरी में कार्यरत है तथा जन्म-तिथि/नाम परिवर्तन करवाना चाहता है तो वह अपनी सेवा/नौकरी में लाभ ना लेने हेतु उससे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक के द्वारा आवेदन किए गए प्रमाण-पत्रों में प्रथम प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से जुर्माना राशि देनी होगी।

हस्ता
सचिव